आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Revision Case No. 26 of 2023

Dist.:- Katihar

PRESENT :- Sri Chaitanya Prasad, I.A.S., Chairman-Cum-Member.

Sri Dilip Kumar Yadav - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Appellant : - Sri Dilip Kumar Yadav, UDC
For the Respondent : - Sri Ashok Kumar Sharma, DCLR

आदेश

19.03.2024

यह सेवा पुनरीक्षण अपील वाद श्री दिलीप कुमार यादव, तत्कालीन प्रभारी प्रधान लिपिक –सह– अभिलेखपाल, बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति उच्च वर्गीय लिपिक, बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार द्वारा अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश संख्या– 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0–06/2023–6187 दिनांक– 07.08.2023 से पारित दंड के विरूद्ध दाखिल किया गया है। पारित आदेश में अपीलार्थी को 3 (तीन) वार्षिक वेतनवृद्धि पर तत्काल प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित किया गया है।

श्री दिलीप कुमार यादव, तत्कालीन प्रभारी प्रधान लिपिक –सह– अभिलेखपाल, बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संसूचित दण्ड की विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है:–

पारित दंडादेश में उल्लेख है कि श्री दिलीप कुमार यादव, तत्कालीन प्रधान लिपिक सह–अभिलेखपाल, बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति उच्च वर्गीय लिपिक बन्दोबस्त कार्यालय खगड़िया के विरूद्ध बन्दोबस्त कार्यालय में अपने पदस्थापन काल में प्रभारी प्रधान लिपिक सह–अभिलेख पाल के कार्य दायित्व के अवधि में अभिलेखों के साथ फर्जीवाड़ा एवं मूलवाद अभिलेख संख्या 02/85 उपलब्ध नहीं कराने तथा फर्जी अभिलेख

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में की टिप्पणी तारीख सहित 3

का नकल निर्गत करने के आरोप में निलंबित करते हुए विभागीय कार्यावाही संचालित की गई।

सुनवाई के दौरान संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में आरोपित को कुछ आरोपों के लिए दोष रहित तथा कुछ आरोपों के लिए आशिंक रूप से दोषी पाये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि आरोपित द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण में यह स्वीकार किया गया है कि अभिलेख प्रभारी द्वारा अभिलेखों के आधार पर बनाई गयी प्रतिलिपि की मात्र तुलना आरोपित द्वारा किया गया है। आरोपित द्वारा समर्पित इस स्पष्टीकरण के उपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए आरोपित से द्वितीय कारण पृच्छा की गई आरोपित द्वारा पुनः समर्पित स्पष्टीकरण में अपने उपर लगाये गये आरोपों को असत्य बताया गया तथा पुनः इस बात का उल्लेख किया गया की तुलना लिपिक की हैसियत से केवल प्रतिलिपि को मिलान किया गया। आरोपित द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि पुराना फर्जी अभिलेख कब और कैसे अभिलेखागार में रखा गया इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी क्योंकि अभिलेखागार के प्रभारी वे नहीं थे।

अंततः सक्षम पदाधिकार द्वारा संचिका में रक्षित साक्ष्य/अभिलेख द्वारा श्री यादव पर लगाये गये आरोप को सत्य मानते हुए तथा द्वितीय कारण पृच्छा में अभिलेखों के मिलान/ तुलना की स्वीकारोंक्ति के आधार पर दोषी पाते हुए तीन वार्षित वेतन वृद्धि की तत्काल प्रभाव से रोक तथा निलंबन अवधि में किये गये भुगतान के अतिरिक्त कोई अन्य राशि भुगतान नहीं किये जाने का दंड अधिरोपित किया गया।

अपीलार्थी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि उनको अभिलेखपाल या अभिलेखागार प्रभारी किसी भी आदेश के द्वारा नहीं बनाया गया था और न हीं अभिलेखागार की चाभी अपीलार्थी के पास थी। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में विभाग से निर्गत कई आदेशों की प्रति के साथ यह दावा किया गया है कि वे कभी भी अभिलेख प्रभारी नहीं थे। स्पष्टीकरण में अपीलार्थी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि कथित फर्जी वाद संख्या– 02/85 के कथित फर्जी आदेश का नकल बजाप्ता के लिए चिरकुट आवेदन श्री देव नारायण लाल दास, तत्कालीन अभिलेख प्रभारी के पास समर्पित किया गया था। श्री दास द्वारा कथित फर्जी

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

अभिलेख का नकल तैयार कर मेरे समक्ष तुलना हेतु उपस्थापित किया गया था। तुलना लिपिक या तुलनाकार के रूप में मुझे सिर्फ इतना ही देखना था की कथित मूल अभिलेख का प्रतिलिपि सही तैयार किया गया है या नहीं। इस प्रक्रिया के उपरांत सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर अंकित करते हुए नकल बजाप्ता निर्गत किया गया।

उक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी द्वारा फर्जी अभिलेख का संधारण , अभिलेखागार प्रभारी होने तथा अभिलेखों में छेड़छाड़ के आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

अपीलार्थी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के उपर प्रतिवेदित कुल छः अरोपों में से चार मामलों में दोषी नहीं पाया गया है, जबकि आरोप संख्या–3 में फर्जी अभिलेख का बजाप्ता नकल श्री देव नारायाण लाल दास, उ0व0लिपिक द्वारा तैयार किये जाने का उल्लेख किया गया है, इस प्रतिलिपि का मिलान तुलना लिपिक के रूप में किये जाने के कारण अपीलार्थी को आंशिक रूप से दोषी पाया गया है साथ ही त्रिसदस्यी जाँच समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में अपीलार्थी को फर्जी अभिलेखों का सूक्ष्मतापूर्वक जाँच नहीं किये जाने के कारण दोषी बताया गया है।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का परिशीलन किया। अभिलेख के अवलोकन से तथा आरोपित कर्मी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि अभिलेखागार का प्रभार तत्कालीन उ0व0लिपिक श्री देव नारायाण लाल दास के पास था तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप की कंडिका– 3 में समर्पित मंतव्य में उल्लेख किया गया है कि बजाप्ता नकल संबंधित तीनों अभिलेख श्री देव नारायाण लाल दास, उ0व0लिपिक द्वारा तैयार किया गया है। जबकि अभिलेखों का मिलान/तुलना, तुलना लिपिक श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा किया गया है। इस मिलान के क्रम में अभिलेखों के सूक्ष्मता से जाँच नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी पर आंशिक आरोप प्रतिवेदित किया गया है। इस संबंध में गठित त्रिसदस्यी जाँच दल द्वारा भी इसी कथन को दोहराया गया है।

अतः न्यायालय में सुनवाई एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ की श्री दिलीप कुमार यादव जो तत्कालीन समय में अभिलेखागार के

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

प्रभारी नहीं थे, परन्तु तुलना लिपिक के रूप में अभिलेखों का सूक्ष्म मिलान करने में विफल रहें, जिसके कारण निदेशक (भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश ज्ञापांक– 17– नि0 (अरा0आ0)–28/2019– 1827 दिनांक–29.06.2021 द्वारा अधिरोपित दण्ड, "अगली 3 (तीन) वार्षिक वेतनवृद्धि पर तत्काल प्रभाव से रोक", एवं अपीलीय प्राधिकार के आदेश संख्या– 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0–06/2023–6187 दिनांक– 07.08.2023 द्वारा उक्त दंड को बरकरार रखते हुए आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

17/3/2024

(चैतन्य प्रसाद)
अध्यक्ष –सह– सदस्य
राजस्व पर्षद, बिहार।

17/3/2024

(चैतन्य प्रसाद)
अध्यक्ष –सह– सदस्य
राजस्व पर्षद, बिहार।

Scanned with CamScanner